(F) 42

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7497 दिनांक 12-3-2020
(आदेश सं. 2/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.4 की पालना मे सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में सामाजिक अंकेक्षण कार्य को विधिवत रूप से क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 निम्नानुसार होंगे :-

1. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी चयन संबंधी विनियम, 2020 कहलायेंगें।
2. ये विनियम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में संविदा के आधार पर लिये जाने वाले सामाजिक विकास विशेषज्ञ तथा राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु लागू होंगें।
3. इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधीकारी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग होंगे।
4. सोसायटी में उपरोक्त वर्णित मानव संसाधन के चयन एवं अनुबंध प्रकिया सम्बन्धी विनियम निम्नानुसार रहेंगे -

अ – सामाजिक विकास विशेषज्ञ –

सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :-

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि हो, जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
   (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या अ-(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
   (ख) बिन्दु संख्या अ-(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
   (ग) बिन्दु संख्या अ-(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   (घ) बिन्दु संख्या अ-(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।
ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डो के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

ब – राज्य संसाधन व्यक्ति –

राज्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातकोत्तर/MSW (Master in Social Work) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी/कम्प्यूटर में डिप्लोमा/डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी/कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी/स्वयं सेवी संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण/जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है ।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या ब–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
(ख) बिन्दु संख्या ब–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
(ग) बिन्दु संख्या ब–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(घ) बिन्दु संख्या ब–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/ इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित हैं अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।

स – जिला संसाधन व्यक्ति :–

जिला संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

ii) प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर में डिप्लोमा / डिग्री धारक
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये ।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य
vi) आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये, जिसे कम से कम 5 वर्ष का (Grass Root experience working on right based issues) होना चाहिये। सामाजिक अंकेक्षण / जवाबदेही से सम्बन्धित कार्यों (Social Audit/Accountability related issues) का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य हैं।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –
(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या स–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र
(ख) बिन्दु संख्या स–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र
(ग) बिन्दु संख्या स–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
(घ) बिन्दु संख्या स–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों / इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।
iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों / आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।
v) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त संविदा आधार पर वरीयता सूची में से एक वर्ष के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी।
vi) आवेदनकर्ता को उसके गृह जिले (मूल निवास जिले) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा ।

द – ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :–

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) शैक्षणिक योग्यता – पुरूष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
ii) प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है।
iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होगें।
iv) आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिए।
v) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।
vi) आवेदक सिविल सोसायटी / संगठन से होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया –

i) उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या द–(i)(ii) एवं (v) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

(ख) बिन्दु संख्या द–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

(ग) बिन्दु संख्या द–(iv) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(घ) बिन्दु संख्या द–(vi) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं / सिविल सोसायटी संगठनों / इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण भी अंकित हो।

ii) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमे 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है ।

iii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iv) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों / आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति मे योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियो की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

v) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत्त (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण–पत्र आधार माना जावेगा ।

vi) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

vii) ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

य – ग्राम संसाधन व्यक्ति :–

ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं :–

i) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना जावेगा।

ii) आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । संसाधन व्यक्ति की अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी ।

iii) आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी / कर्मचारी नहीं होना चाहिये, परन्तु सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी पात्र होंगें।

iv) ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आदि के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

v) यदि उक्त बिन्दु सं० (ii) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध ना हो तो दसवीं पास कोई भी शिक्षित व्यक्ति चयन हेतु पात्र माना जायेगा।

vi) कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थी नहीं मिले तो इस शर्त में जिला चयन समिति / सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपयुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होगी।

vii) सूचना प्रोद्योगिकी / कम्प्युटर में दक्षता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दक्षता जॉचने के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त टेस्ट लिया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया –

उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे –

(क) उपरोक्त बिन्दु संख्या य–(i) एवं (ii) के लिए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र

56

(ख) बिन्दु संख्या य–(iii) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र

i) आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

ii) आवेदको की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर उच्चतर शैक्षिक योग्यताधारी आवेदकों को प्राथमिकता से चयन किया जावेगा अन्यथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी मापदण्डों (कक्षा 10 के प्राप्तांकों) के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।

iii) लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (Merit List) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।

iv) आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया के अन्य सामान्य बिन्दु :–

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा इन विनियमों के अनुसार सम्पादित की/करायी जावेगी, परन्तु वास्तविक कार्य सम्पादन में यदि कोई कठिनाइयाँ पेश आवे तो सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों में युक्तियुक्त शिथिलता देने हेतु सक्षम होंगे।

ii) चयन प्रकिया में सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि रूपये 100/– अथवा आंकलन कर ऐसी उचित राशि रखी जावेगी, जो उक्त कार्य के व्यय की प्रति पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, इसे लाभार्जन का जरिया नहीं बनाया जावेगा।

iii) संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा स्वय अथवा किसी उपयुक्त एजेन्सी के माध्यम से सम्पन्न करवाई जा सकती है ।

कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में उपयुक्त संसाधनों/सक्षमता के अभाव में निर्णय किया गया कि चयन प्रकिया हेतु किसी राजकीय संस्था यथा अरावली, राईसम (जो नियुक्ति प्रकिया सम्पादन हेतु अधिकृत हो) अथवा अन्य कोई योग्य संस्था की सेवायें ली जावें, जिससे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीधे ही (बिना निविदा के) अथवा खुली निविदा प्रकिया अपनाकर चयन संबंधी कार्य सम्पादन कराया जा सके।

iv) संबंधित पदों हेतु आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या कम (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) होने पर उनकी योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरूद्ध 1.5 गुणा पात्र आवेदकों की वरियता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

v) लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदो के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (Merit List) तैयार की जावेगी।

vi) सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं सभी संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन हेतु अखबार एवं वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

vii) संविदा कार्मिकों के चयन में राजस्थान सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना नियमानुसार की जावेगी।

viii) चयनित व्यक्तियों में से केवल एक वर्ष के लिए ही अनुबंध किया जावेगा एवं अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी एक वर्ष के लिए

नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। इस प्रकार पूर्व में कार्यरत नवीन अनुबंध हेतु उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों से अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होने की स्थिति में केवल अतिरिक्त संविदा कर्मियों हेतु उपयुक्त चयन प्रकिया अपनाई जावेगी।

ix) सभी पात्र आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित कार्यालय में अथवा ऑनलाईन निर्धारित ई–मेल/वेब पोर्टल पर ही प्रस्तुत करेंगे।

x) भारत सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना के Annunal Master Circular 2019-20 के बिन्दू संख्या 10.1.4.2 के अनुसार सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य/जिला संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं :–

क– मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि

ख–अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. वि.

ग– निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (Member Convenor)

घ– राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के सामाजिक अंकेक्षण केन्द्र (Center for Social Audit)/सिविल सोसायटी संगठनों के राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/महिला बाल विकास विभाग/विधि विभाग के प्रतिनिधि

xi) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं।:–

क– जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्यून पद धारी न हो।)

ख– अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

ग– कोषाधिकारी

घ– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

xii) संबंधित ब्लॉक में ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु निम्नानुसार चयन समिति होगीं।:–

क– उपखण्ड अधिकारी

ख– विकास अधिकारी, पंचायत समिति

ग– उप कोषाधिकारी

घ– सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का प्रतिनिधि

xiii) सभी पदो के लिए चयन हेतु आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षा आयोजन किया जाना आदि समस्त कार्यवाही सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णय के अनुसार की जावेगी तथा विधिवत वरीयता सूची (Merit List) बनाकर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी।

xiv) नियुक्ति प्रक्रिया एवं परिणाम आदि का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जावेगा।

6. <u>सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त अनुबन्ध किये जाने की प्रकिया :–</u>

i) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्ति/ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरान्त भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD), हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा।

ii) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव होना आवश्यक है ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण के अनुभव की पूर्ति हेतु पूर्व वर्षो में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु किये गये भुगतान बाबत प्रमाण पत्र संबंधित विकास अधिकारी की ओर से प्राप्त कर आवेदक को प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में तीन सामाजिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह चयन उपरान्त तीन माह की अवधि में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने उपरान्त ही अभ्यर्थी से विधिवत् एक वर्ष के लिए संविदा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाई जा सकेगी।

iii) ग्राम संसाधन व्यक्तियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण होगा । प्रशिक्षण उपरान्त ही एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जा सकेगा ।

iv) सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार नियत मासिक संविदा राशि देय होगी।

v) ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को भारत /राजस्थान सरकार/सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्णयानुसार अनुमोदित दरों पर, दैनिक आधार पर मानदेय राशि का भुगतान किया जावेगा।

vi) ब्लाक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति चयन के उपरांत पात्रता सूचि में से सूचीबद्ध (List of Empanelled Resource Persons) रखे जावेंगे, जिनकी आवश्यकतानुसार दैनिक मानदेय भुगतान के आधार पर इच्छुक लोगों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

vii) किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा ।

उक्त विनियम श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की आई.डी. संख्या 1572/सी.एस./2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा अनुमोदित है ।

Sd/-
(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रा.वि. एवं प. राज. विभाग सह अध्यक्ष,
कार्यकारी समिति (SSAAT)

क्रमांक एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7498-7514 दिनांक 12/3/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
3. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT
4. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
5. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रा.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
6. निजी सचिव, श्रीमान प्रधान महालेखाकार, राजस्थान
7. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
8. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
9. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
11. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा. वि. विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति SSAAT
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर को उन्हें प्रस्तुत सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों की पत्रावली पर भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित है।
14. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
15. निदेशक, SSAAT सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT
16. प्रभारी अधिकारी वेब साईट, ग्रामीण विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग की वैबसाईट पर इन विनियमों को स्थायी रूप से प्रकाशित कराने का श्रम करें।
17. रक्षित पत्रावली।

12/3/2020
(रामावतार शर्मा)
निदेशक एवं सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति, SSAAT